भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 20
22.07.2024 को उत्तर के लिए

प्रदूषण से होने वाली मृत्यु

20. प्रो. सौगत राय :
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान द लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित उस अध्ययन रिपोर्ट पर गया है जिसमें दिल्ली, बंगलुरु और मुम्बई सहित भारत के 10 सबसे बड़े और सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दैनिक मौतों में से 7.2 प्रतिशत मौतें पीएम 2.5 स्तरों से जुड़ी हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो देश के उक्त दस शहरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहरों में दिल्ली का स्थान क्या है;
(घ) क्या दिल्ली में लोग प्रदूषण के कारण मर रहे हैं, यदि हां, तो दिल्ली में प्रति वर्ष प्रदूषण के कारण मरने वाले लोगों की औसत संख् या कितनी है; और
(ङ) देश के आम नागरिक के जीवन को बचाने के लिए ऐसी खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) **:** केवल वायु प्रदूषण के साथ मृत्यु का सीधा सह-संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और तत्संबंधी रोगों को उत्पन्न करने वाले कई कारकों में से एक है। स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें पर्यावरण के अलावा व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पूर्व में स्वास्थ्य की स्थिति, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

लैंसेट प्लैनेट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित आलेख 'भारत के दस शहरों में परिवेशी वायु प्रदूषण और दैनिक मृत्यु: एक आकस्मिक मॉडलिंग अध्ययन' सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करके किए गए अध्ययन पर आधारित था और अध्ययन की सीमाओं का हवाला देते हुए कहा गया था कि यह अध्ययन कारण-विशिष्ट मृत्यु का विश्लेषण करने में असमर्थ था।

इस आलेख में उल्लिखित 10 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी) में पीएम 2.5 के स्तर के वार्षिक औसत का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

प्रदूषण के संबंध में शहरों की विश्वव्यापी रैंकिंग निगरानी विधियों और संबंधित देश के विशिष्ट राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में भिन्नता के कारण उपयुक्त नहीं हो सकती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराता है - इसके तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शामिल 131 शहरों की जनसंख्या के आधार पर तीन समूहों में रैंकिंग की गई है। एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता सुधार उपायों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों के समूह में दिल्ली को '9' वे स्थान पर रखा गया है।

(ङ.) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया, जो वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति है। एनसीएपी के तहत, आधार वर्ष 2017 के संबंध में वर्ष 2024 तक 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता में 20 से 30% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसके बाद, वर्ष 2025-26 तक PM सांद्रता के संदर्भ में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरों को सिटी एक्शन प्लान के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी 131 शहरों/यूएलबी ने एनसीएपी के तहत सिटी एक्शन प्लान तैयार किए हैं।

एनसीएपी के तहत, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 131 शहरों के लिए 19,614.44 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों/शहरी समूहों को XVवें वित्त आयोग वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया है। अब तक, 131 शहरों को अपने-अपने शहरों में सिटी एक्शन प्लान लागू करने के लिए 11,211.13 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

वित्त वर्ष 2017-18 की आधार रेखा के संबंध में वित्त वर्ष 2023-24 में वार्षिक PM10 सांद्रता के संदर्भ में 131 शहरों में से 95 शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 18 शहरों ने PM10 (60 µg/m3) के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है।

इसके अलावा, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

*****

अनुबंध-I

10 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी) में PM2.5 के स्तर के वार्षिक औसत का विवरण

वर्ष 2023 के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा			
क्रम सं.	**राज्य**	**शहर**	**PM2.5 (µg/m3 में)**
1	गुजरात	अहमदाबाद	49
2	कर्नाटक	बेंगलुरु	33
3	तमिलनाडु	चेन्नई	28
4	दिल्ली	दिल्ली	105
5	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	47
6	तेलंगाना	हैदराबाद	38
7	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	49
8	महाराष्ट्र	पुणे	52
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	14
10	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	27

PM2.5 के लिए निर्धारित वार्षिक मानक = 40µg/m3

अनुबंध-II

वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा

- परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना।
- 131 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का कार्यान्वयन।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों में समय-समय पर संशोधन।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना।
- गैस ईंधन (सीएनजी, एलपीजी, आदि) जैसे स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन का प्रचलन।
- इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाना।
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना।
- बायोमास जलाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करना।
- प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की स्थापना।
- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की अधिसूचना।
- एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी आयोग (सीएक्यूएम) का गठन आदि।
- एनसीआर राज्यों में 24 अक्तूबर, 2017 से ईंधन के रूप में पेट कोक और भट्टी तेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 26 जुलाई, 2018 से, अनुमत प्रक्रियाओं में उपयोग के अपवाद के साथ देश में आयातित पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- सीएक्यूएम ने दिल्ली, जहां केवल पीएनजी को औद्योगिक ईंधन के रूप में अनुमति दी गई है, को छोड़कर एनसीआर में औद्योगिक ईंधन के रूप में पीएनजी या बायोमास के उपयोग की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं। सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लांट्स में कोयले के साथ 5-10% बायोमास को सह-दहन करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों तथा एक लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले पंपों में वाष्प रिकवरी प्रणाली (वीआरएस) की स्थापना।
- निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी 17 श्रेणियों के उद्योगों को ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) संस्थापित करने का निर्देश दिया।
- दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ओसीईएमएस की स्थापना।
- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी चालू ईंट भट्टों में मिश्रित प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया गया है।